मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक/25/97।/वेआ.प्र./98 भोपाल, दिनांक 11/13.1.99

-आदेश -

विषय- शासकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाये जाने के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग का आदेश क्रमांक 242/320/1/वेआप्र/97/दि010.3.97 एवं क्रमांक एफ 4-1/1/वेआप्र/97 दिनांक 4.10.97 ।

x x x x

राज्य शासन एतद् द्वारा चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संदर्भित आदेश दिनांक 10.3.97 एवं पूरक आदेश दिनांक 4.10.97 में संशोधन करते हुये निम्नानुसार व्यवस्था लागू करता है :-

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों पर निजी प्रेक्टिस का प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेगा एवं उन्हें केन्द्र शासन की दरों के अनुरूप अव्यवसायिक भत्ता दिया जावेगा ।

2. लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है । परन्तु निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी और नर्सिंगहोम्स या प्रायवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी ।

3. जो चिकित्सक प्रशासकीय कार्य करते हैं उनकी निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध अभी भी लागू रहेगा एवं उन्हें केन्द्र शासन की दरों के अनुरूप अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता होगी । इसमें संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र तथा जिला स्तर के प्रोग्राम अधिकारी सम्मिलित हैं ।

// 2 //

4- स्वास्थ्य विभाग का ऐसा प्रत्येक सहायक शल्य चिकित्सक या समकक्ष चिकित्सक जिस पर वर्तमान में निजी प्रेक्टिस का प्रतिबंध लागू है ,प्रतिवर्ष रुपये 500/- ﴾रुपये पांच सौ﴿अपनी पदस्थापना के अस्पताल/संस्था की रोगी कल्याण समिति में जमा करावेगा एवं ऐसा प्रत्येक विशेषज्ञ या समकक्ष वरिष्ठचिकित्सक रुपये 1000/-﴾रु.एक हजार﴿ प्रतिवर्ष जमा करावेगा ।

5- ऐसे सभी चिकित्सकों को अभी तक दी जाने वाली अव्यवसायिक भत्ते की राशि के समतुल्य राशि राज्य शासन प्रतिवर्ष रोगी कल्याण समितियों में जन उपयोगी कार्य हेतु उपलब्ध करायेगा ।

6- यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगें ।

2/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 49/एस.आर./31/99/बी चार—— दिनांक 13.1.97 द्वारा महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता0/-
﴾किरण विजय सिंह﴿
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

// सत्य प्रतिलिपि//
हस्ता0/-
﴾जी0पी0 पाराशर﴿
अनुभाग अधिकारी
लोकस्वास्थ्य एवं परि0कल्याण विभाग.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./फा.नं.20/99/6875-7009 भोपाल, दिनांक 5.8.99

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल को उनके पत्र क्रमांक एफ1-9/99/17 मेडि.1 भोपाल दिनांक 23 जनवरी99 के परिपेक्ष्य में कृपया सूचनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0 ।

// 3 //